न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध- 8005-I-16

प्रकरणकमांक.विविध.........दो / 2016

1. लईक खां पुत्र अहमद खां
2. उमर खां पुत्र लईक खां
   निवासी ग्राम रतनगढ़ तहसील लटेरी जिला विदिशा मध्यप्रदेश
3. श्रीमती हाजरा बी पत्नि अब्दुल सलाम निवास मुरवास
4. प्रकाश बाब,पुत्र धीरज सिंह कुशवाह निवासी बलरामपुर तहसील लटेरी जिला विदिशा मध्य प्रदेश

आवेदकगण

विरूद्व

सिंगारवाई पत्नि प्रेमसिंह ग्राम बामनखेडी तहसील लटेरी जिला विदिशा व अन्य 9

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी एवं धारा 32 म0प्र.0भू.0 राजस्व सहिता वाबत् प्रकरण कमांक निगरानी 1047/2/ 2014 निगरानी लईक खांन आदि वनाम सिंगार बाई आदि निर्णय पारित दिनाक 18.01.2016 में टाईपिग गलती सुधारने बावत् ।

महोदय,

प्रार्थना पत्र आवेदकगण निम्नप्रकार प्रस्तुत है।

1. यह कि ऊपर वार्णित के प्रकारण के निर्णय मे पद कमांक 2 की प्रथम लाईन में रूसल्ली " खुर्द " शब्द टाइपि हो गया है जबकि ग्राम रूसल्ली साहू होना था अतः "खुर्द" के स्थान पर "साहू" शब्द लिखा जाना है क्योकि उसी ग्राम की विवादग्रस्त भूमि है।
2. यह कि निर्णय के पद कमांक 2 में भूमि सर्वेकमाक "557" "558" अंक भी लिखा जाना था जो अंक लिखने से रहगए है तथा इसलिए लाईन के अन्त में कुल किता 15 के स्थान पर "16" लिखा जाना है जो गलती से 15 अंकित हो गाया हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 8005–एक/16 जिला –विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.3.2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित। उनके द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण कमांक 1047–दो/14 में पारित आदेश दिनांक 18.1.16 में टायपिंग गलती सुधार हेतु प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि पद कमांक 2 की प्रथम लाईन में रूसल्ली "खुर्द" शब्द टाइप हो गया है। खुर्द के स्थान पर "साहू" शब्द लिखा जाना है। इसी प्रकार पद कमांक–2 में 557, 558 अंक भी लिखा जाना था जो नहीं लिखा गया है। लाईन के अंत में 15 के स्थान पर 16 लिखा जाना था जो गलती से 15 अंकित हो गया है। इसी प्रकार पद कमांक–4 में श्रीमती हजारा बी के विकय पत्र में 25.5.05 सर्वे कमांक 563/3 के स्थान पर 1.231 अंकित हो गया है जो सही "1.321" लिखा जाना है । 2– अतः आवेदक के अधिवक्ता आवेदन स्वीकार किया जाता है पद कमांक–2 की प्रथम लाईन में खुर्द के स्थान पर साहू पढ़ा जावे। इसी प्रकार पद कमांक 2 में भूमि सर्वे कमांक 557, 558 लाईन के अंत में रह गया है तथा लईन के अंत में	

विविध-8005-I/16 (विविध)

सर्वे कमांक 557, 558 पढ़ा जावे। इसीप्रकार लाईन के अंत में 15 के स्थान पर 16 पढा जावे। इसी प्रकार पद कमांक 4 में दिनांक 25.5.05 सर्वेकमांक 563/3 रकवा 1.321 हैक्टेयर के स्थान पर 1.231 अंकित हो गया जो सही " 1.321" पढा जावे। उपरोक्त आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा0द0 हो।

सदस्य